

इन्द्राज दुरुस्ती

(देखिये धारा 136 राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956)

आवेदन

2
पुन 300
14-7-15

सदामे

श्रीमान उप खण्ड अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

विषय - जमाबन्दी खाता संख्या 7 में इन्द्राज दुरुस्ती काका।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम उदई कला B की जमाबन्दी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 7 में मेरी जाति/नाम/हिस्सा/प्रविष्टि अदील अहमद, सउद अहमद, अकबर अहमद, शफी मोहमद हैं, जबकि मेरे सही नाम/जन्मति/हिस्सा/प्रविष्टि शफी मोहमद अतः सही नाम/जन्मति/हिस्सा/प्रविष्टि शफी मोहमद राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर दुरुस्ती करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 14-7-15 मुमताज अहमद प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

गवाह के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

जांच रिपोर्ट (मू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का)

महोदय, रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2069-72 उदई कला B के खाता संख्या 7 में प्रार्थी शफी मोहमद का पुत्र शफी मोहमद नाम/जन्मति/हिस्सा/प्रविष्टि शफी मोहमद में दर्ज है। इसके स्थान पर प्रार्थी का नाम/जन्मति/हिस्सा/प्रविष्टि शफी मोहमद सही करवाना चाहता है। मैंने इसकी जांच कर ली है, प्रस्तावित नाम/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित नाम/जन्मति/हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर मू-अभिलेख निरीक्षक मय शफी मोहमद दिनांक 14/7/15 हस्ताक्षर पटवारी मय दिनांक 14/7/15

कार्यालय तहसीलदार गंगापुर सिटी कैम्प
कमांक - मू.अ./प्रगासं/2013/

दिनांक - 14-7-15

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रार्थी श्री अदील अहमद, सउद अहमद, अकबर अहमद पुत्र श्री शफी मोहमद जाति मुसलमान निवासी उदई कला B तहसील गंगापुर सिटी का नाम/जाति/प्रविष्टि शफी मोहमद मुताबिक रिकार्ड 2069-72 दर्ज है। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर शफी मोहमद दुरुस्त करने की अभिशप्ता की जाती है।

दिनांक तहसीलदार (मू.अ.) गंगापुर सिटी

लोक अदालत कैम्प ~~उदेरकल~~

14-7-15 जर्जी अदील अहमद ने जल उदेरकल की जमाबन्दी सं 2069-72 में खास सं 7 मे 93 नाम अदील अहमद, सउद अहमद, अदनान अहमद पिता शफी मोहम्मद के स्थान पर अदील अहमद, सउद अहमद, अदनान अहमद पिता शफी अहमद सुइ करमे का विवेक (पिछे) हल्का पखारी, ILR व तहसीलदाल गंगपुर सिटी मे भी उक्त खास सं 7 मे 93 जर्जी के पिता का नाम "शफी मोहम्मद" के स्थान पर शफी अहमद संशोधन करने की रिपोर्ट की है। अतः तहसीलदाल गंगपुर सिटी की सिफारिश के आधार पर जल उदेरकल की जमाबन्दी सं 2069-72 में खास सं 7 मे 93 मे 93 जर्जी के पिता का नाम "शफी मोहम्मद" के स्थान पर शफी अहमद संशोधन करने का आदेश दिया जा रहा है। पालन हेतु तहसीलदाल गंगपुर सिटी को लिखा जावे।


उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी
कैम्प - उदेरकल

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प उदेई कलौ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उदेई कलौ भू.अ.नि. गंगापूर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदेई कलौ तहसील गंगापूर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2069-72 में खाता संख्या 7 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उदेई कलौ	7	अदील अहमद सउद अहमद अदनान अहमद पि. शफी मोहम्मद	अदील अहमद सउद अहमद अदनान अहमद पि. शकील अहमद (खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी।)



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी

दिनांक:- 14 जुलाई 2015

क्रमांक:- 994-96

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापूर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अदील अहमद पुत्र शकील अहमद नि. उदेईकलौ को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

25
14/7/15



(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापूर सिटी